न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, (जिला–ब्यावर) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व प्रा0 पत्र सं0 : 516/2016
GCMS NO. : 2016/00385

–: वादी :– — **बनाम** — **–: प्रतिवादीगण :–**

वादी:

1. मगनभाई पुत्र बलवंत भाई परमार कौम हिन्दू चमार, निवासी सांखरी, तहसील पाटन, जिला पाटन (गुजरात) जरिये मुख्तियारधारक भरतभाई मेहता पुत्र अनन्तराय मेहता, निवासी हाल निम्बोल, तहसील जैतारण, जिला ब्यावर।

बनाम

प्रतिवादीगण:

1. जयप्रकाश पुत्र सुगनाराम जाति मेघवाल, निवासी डिगरना, तहसील जैतारण जिला ब्यावर।
2. तहसीलदार जैतारण, तहसील–जैतारण, जिला ब्यावर।

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू: 02/09/2016

उपस्थितः–

1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री रामस्परूप चौधरी, अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 01

–:: निर्णय ::– **दिनाँकः– 26/02/2024**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि राजस्व मौजा गांव सिणला, पटवार हल्का डिगरना, तहसील जैतारण, जिला ब्यावर में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 754 रकबा 1.4731 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम की भूमि आई हुई है जिसमें वादी 1/2 हिस्से का काबिज खातेदार काश्तकार है। वादी ने उक्त भूमि मौके पर पूर्ववर्ती खातेदारों से जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख के खरीद की है व कब्जा भी प्राप्त किया है। तदुपरान्त इस भूमि की देखरेख के लिए श्री भरतभाई मेहता को अपना मुख्तियारधारक नियुक्त किया हुआ है। तदुपरान्त वादी द्वारा खरीदसुदा भूमि में से 1/2 हिस्से की भूमि बाबूलाल धोबी निवासी मोहराई वाले को बेचान की थी व उसी माफिक बाबूलाल को कब्जा भी सौंपा था तथा शेष 1/2 हिस्से की भूमि वादी के कब्जे व नियंत्रण में थी। इस प्रकार से वादी की उक्त भूमि मौके से अलग बंटी हुई है एवं प्रतिवादी संख्या 01 ने बाबूलाल से भूमि खरीद की थी व उसी स्थान पर बाबूलाल ने प्रतिवादी संख्या 01 को कब्जा सौंपा था। इस प्रकार से सम्पूर्ण भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.06 12:43:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड-अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,जैतारण(ब्यावर)

आपसी सहमति से मौके पर अलग-अलग बंटी हुई है। जिसका माफिक कब्जे अनुसार नजरी नक्शा इस वादपत्र के साथ पेश किया जा रहा हैं, जिसमें वादी के हक हिस्से की भूमि को मार्क ए, बी, सी, डी से दर्शाया जा रहा है। वादी व प्रतिवादी संख्या 01 की वादग्रस्त भूमि मौके पर आपसी सहमति से अलग अलग भागों में बंटी हुई थी। लेकिन उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में शामलाती दर्ज है। जिसका अभी तक बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के बंटवाड़ा होकर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज नहीं हुआ है। अब वादी मौके पर अपनी इस वादग्रस्त भूमि को वास्ते औद्योगिक प्रयोजनार्थ काम में लेना चाह रहे है, लेकिन उक्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण के बीच राजस्व रेकर्ड में संयुक्त व शामलाती दर्ज होने की वजह से वादी को अपनी भूमि की किस्म बदलवाने में भारी परेशानी हो रही है। वादी ने प्रतिवादी संख्या 01 से भी आराजी का बंटवाड़ा कराने हेतु कई बार निवेदन किया परन्तु प्रतिवादी संख्या 01 ने मौके पर कब्जा व मौका स्थिति अनुसार बंटवाड़ा कराने से टालमटोल कर रहे है। दिनाँक 25.07.2016 को प्रतिवादी ने इस आराजी का बंटवाड़ा कराने से भी स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया। जबकि वादी अपने हक हिस्से की आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के बंटवाड़ा कराने का कानूनी रूप से अधिकारी है। तब इस अवस्था में वादी के पास यह वादपत्र बाबत् बंटवाड़ा का पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह वादपत्र बाबत बंटवाड़ा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। विवादित भूमि वादी व प्रतिवादीगण की केवल राजस्व रेकर्ड में संयुक्त व शामलाती है। लेकिन मौके पर बंटवाड़ा हो रखा है, परन्तु प्रतिवादीगण झगड़ालू प्रवृति के है। जो वादी की माठों को तोड़कर वादी के कब्जे की भूमि पर नाप चौप को लेकर आये दिन विवाद कर रहे है व वादी के कब्जे में प्रतिवादी संख्या 01 जबरदस्ती बाधा व अड़चन पैदा कर रहे है। तब ऐसी परिस्थितियों में यदि प्रतिवादी संख्या 01 ने जबरदस्ती लाठी लकडियों के बल पर वादी को बेदखल कर इस भूमि पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया तो वादी अपनी खरीदसुदा, कब्जासुदा व हकसुदा भूमि का उपयोग उपभोग करने से हमेशा-हमेशा के लिये वंचित हो जायेगें। तब ऐसी विषम परिस्थितियों में वादी के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह वादपत्र बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। प्रतिवादी संख्या 02 तहसीलदार जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि है। जो बंटवाड़ा के वादपत्र में आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाये गये है। अतः इनके विरुद्ध वादपत्र प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र अलग से वादपत्र के साथ पेश है। बिनाय वाद दिनाँक 25.07.2016 को प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा उक्त आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस से बंटवाड़ा कराने से स्पष्ट इन्कार करने पर व शामलाती भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करने की धमकी देने पर बमुकाम सिणला, तहसील जैतारण, जिला ब्यावर में उत्पन्न हुआ है। जो अन्दर म्याद व श्रीमान् के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.06 12:43:43 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड-अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, जैतारण (ब्यावर)

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से वकील श्री रामस्वरूप चौधरी ने वकालतनामा पेश किया गया, जो शा.मि. है। प्रतिवादी संख्या 02 बावजूद सम्मन सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद–पत्र, शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात इत्यादि का गहनता से अध्ययन किया गया। जमाबंदी सरहद मौजा ग्राम सिणला, पटवार हल्का डिगरना, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आनन्दपुर कालु वर्तमान भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र निम्बोल, तहसील जैतारण में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 की संयुक्त शामलाती अविभाजित खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 754 रकबा 1.4731 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम सम्वत् 2071–2074 का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त आराजी वादी मगनभाई पुत्र बलवन्तभाई वपरमार के नाम दर्ज थी। इसी जमाबन्दी में अंकित नामान्तकरण के नोट संख्या 810, 811 के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा संख्या 754 का बेचान वादी द्वारा बाबुलाल पुत्र बींजाराम को बेचान किया गया एवं उसके बाद बाबुलाल द्वारा वादग्रस्त आराजी जयप्रकाश पुत्र सुगनाराम को बेचान की गई।

वर्तमान जमाबन्दी के अवलोकन अनुसार वादग्रस्त आराजी में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 बरूबे राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज है, जिसमें माफिक राजस्व रेकर्ड अनुसार प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि ग्राम सिणला, पटवार हल्का डिगरना, तहसील जैतारण, जिला ब्यावर में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 754 रकबा 1.4731 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम की आई हुई है। वादग्रस्त आराजी का उभयपक्ष के हक–हिस्सों का माफिक राजस्व रिकार्ड भूमि का बंटवाड़ा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग–अलग दर्शाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2018/395 दिनाँक 16/04/2018 एवं पत्रांक/कोर्ट/2019/858 दिनाँक 04/11/2019 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/19/5899 दिनाँक 26/11/2019 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित न्यायालय में प्रस्तुत की, शा0मि0 की गई। अधिवक्ता वादी द्वारा उक्त विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति जाहिर करते हुए यह कथन किए गए कि वादी को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने की सूचना नहीं दी गई। न्यायालय द्वारा पुनः विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा तैयार करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2020/275 दिनाँक 02/03/2020 एवं पत्रांक/कोर्ट/

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.06 12:43:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड-अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, जैतारण (ब्यावर)

2022/693 दिनाँक 15/07/2022 दिनाँक 15/07/2022 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/22/5838 दिनाँक 15/09/2022 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंट्वाड़ा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित न्यायालय में प्रस्तुत की, शा0मि0 की गई। वकील वादी ने पुनः तैयार विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा को राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए तैयार नहीं करना बताते हुए आपत्ति जाहिर की। न्यायालय हाजा द्वारा पुनः राजस्व मण्डल के निमय 18 से 21 की पालना करते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को पत्रांक/कोर्ट/2024/98 दिनाँक 01.02.2024 के द्वारा आदेशित किया गया। उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/24/1045 दिनाँक 12.02.2024 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंट्वाड़ा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित न्यायालय में प्रस्तुत की, शा0मि0 की गई।

अंतिम बहस वकील उभयपक्ष की सुनी गई। बहस के दौरान वकील उभयपक्ष ने वादग्रस्त आराजी का माफिक प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अनुसार बंटवाड़ा करने हेतु सहमति जाहिर की। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकील उभयपक्ष एवं पालना रिपोर्ट पर गौर कर मनन किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने अपने हक हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज है। अतः भू–अभिलेख के खसरा नम्बर 754 रकबा 1.4731 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम का माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का वाद अंतिम डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश::–

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा ग्राम सिणला, पटवार हल्का डिगरना, तहसील जैतारण, जिला ब्यावर में खसरा नम्बर 754 रकबा 1.4731 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान
1.	जयप्रकाश पुत्र सुगनाराम जाति मेघवाल, सा0 डिगरना खातेदार	754/1	0.7366	बा.दो.	0.18
2.	मगनभाई पुत्र बलवन्तभाई जाति चमार, सा0 सांखरी तहसील व जिला पाटन गुजरात खातेदार उक्त भूमि (हिस्से में) सीमेन्ट [illegible] का अनुपयोगी पत्थर/मिट्टी का ढेर बड़ा सा लगा हुआ है।	754	0.7365	बा.दो.	0.17

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.06 12:43:43 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

उपखण्ड-अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर,जैतारण(ब्यावर)

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। तहसीलदार, जैतारण के पत्र क्रमांक/भू0अ0/24/1045 दिनाँक 12.02.2024 द्वारा जारी बंटवाड़ा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर लेखा/भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, जैतारण
जिला–ब्यावर (राज0)

निर्णय आज दिनाँक 20/02/2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, जैतारण
जिला–ब्यावर (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.06 12:43:43 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
मुकाम :– जैतारण जिला ब्यावर
बईजलास :– श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर०ए०एस०

–: वादी :– बनाम –: प्रतिवादीगण :–

1. मगनभाई पुत्र बलवंत भाई परमार कौम हिन्दू चमार, निवासी सांखरी, तहसील पाटन, जिला पाटन (गुजरात) जरिये मुख्तियारधारक भरतभाई मेहता पुत्र अनन्तराय मेहता, निवासी हाल निम्बोल, तहसील जैतारण, जिला ब्यावर।

1. जयप्रकाश पुत्र सुगनाराम जाति मेघवाल, निवासी डिगरना, तहसील जैतारण जिला ब्यावर।
2. तहसीलदार जैतारण, तहसील–जैतारण, जिला ब्यावर।

मु०न० :रा०वा०स०: 516/2016

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–........ व हाजरी श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई एवं श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि सरहद मौजा ग्राम सिणला, पटवार हल्का डिगरना, तहसील जैतारण, जिला ब्यावर में खसरा नम्बर 754 रकबा 1.4731 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान
1.	जयप्रकाश पुत्र सुगनाराम जाति मेघवाल, सा० डिगरना खातेदार	754/1	0.7366	बा.दो.	0.18
2.	मगनभाई पुत्र बलवन्तभाई जाति चमार, सा० सांखरी तहसील व जिला पाटन गुजरात खातेदार उक्त भूमि (हिस्से में) सीमेन्ट फेक्ट्री का अनुपयोगी पत्थर/मिट्टी का ढ़ेर बडा सा लगा हुआ है।	754	0.7365	बा.दो.	0.17

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। तहसीलदार, जैतारण के पत्र क्रमांक/भू०अ०/24/1045 दिनाँक 12.02.2024 द्वारा जारी बंटवाड़ा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी ... प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। पत्रावली फै... शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर रेकार्ड/भण्डार जमा हो।

उपखण्ड-अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर,जैतारण(ब्यावर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.06 12:43:43 IST
Reason: SelfAttested

नीज.....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 13/02/2024 को जारी किया गया।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, जैतारण
जिला–ब्यावर(राज0)

मुद्दई	रूपये पैसे	मुद्दायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	4.00	स्टाम्प वकालतनामा	1.00
स्टाम्प वकालतनामा	1.00	स्टाम्प अर्जी	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	0.00	महनताना वकील	0.00
महनताना वकील	0.00	खर्चा गवाहान	0.00
खर्चा गवाहान	2.00	फीस कमीश्नर	0.00
फीस कमीश्नर	0.00	बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00
बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00	मुत्फरिक	0.00
मिजानः–	7.00	मिजानः–	1.00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.06 12:43:43 IST
Reason: SelfAttested